कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14382/1405 **दिनांकः–** 19.11.2013

Addl. Secy (7)

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत मढौरा के वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 253/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

6886 (5)
26/11/13

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना।

नगर पंचायत मढौरा, छपरा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–253/2013–14

(अवधि– 2009–10 से 11–12 तक)

1.प्रस्तावना

नगर पंचायत मढौरा(छपरा) के वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 की अवधि का नमूना लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय अंकेक्षण शाखा, बिहार, पटना के दल द्वारा दिनांक 11.02.2013 से दिनांक 23.02.2013 के बीच किया गया।

2. प्रशासनः–

लेखा परीक्षा अवधि में इसके निम्न पदाधिकारी थेः–

क्र०सं०	अध्यक्ष/मुख्य पार्षद	अवधि
(i)	श्रीमति उर्मिला देवी	01.04.2009 से 31.03.2012

क्र०सं०	उप मुख्य पार्षद	अवधि
(i)	श्रीमति सुनीता देवी	01.04.2009 से 31.03.2012

क्र०सं०	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
(i)	श्री सुरेन्द्र कुमार झा	01.04.2009 से 03.04.2010
(ii)	अमरेन्द्र कुमार	04.04.2010 से 27.12.2010
(ii)	अरविन्द प्रसाद सिंह	28.12.2010 से 31.03.2012

3. अंकेक्षण की परिसीमाः–

अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I तथा असंधारित, अप्रस्तुत अभिलेखों/पंजी की सूची परिशिष्ट –II मे दी गई है।

4. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का निष्पादनः–

नगर पंचायत मढौरा(छपरा) द्वारा अंकेक्षण में पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का कंडिकाबार अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः लंबित कंडिकाओं के निष्पादन की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

अतः नगर पंचायत के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

5. आंतरिक अंकेक्षणः–

बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 20 तथा 30 एवं रिकबरी ऑफ टैक्स नियमावली 1951 के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी या पालिका पार्षद द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के अनेक प्रावधान हैं।

नियमावली में दी गयी जाँच प्रक्रिया का उद्देश्य लेखा के समुचित संधारण तथा समन्वय के साथ–साथ त्रुटियों एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच प्रक्रिया का पालन पालिका पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पाई गई। इनकी विवेचना बाद की कंडिकाओं में की गई है।

अतः अधिकारियों व पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि जाँच प्रक्रिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितताओं/ त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

6. अधिदृश्य :–

नगर पंचायत मढौरा के सामान्य रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक की आय–व्यय निम्न थाः–

क0 सं0	विवरण	वर्ष 2009–10 (रू० में)	वर्ष 2010–11 (रू० में)	वर्ष 2011–12 (रू० में)
1	प्रारंभिक शेष	6232840.14	5909856.14	5472630.14
2	प्राप्तियाँः–			
(i)	स्वयं श्रोत	220055.00	30920.00	25372.00
(ii)	अनुदानः–			
(क)	बी०आर०जी०एफ०	1999250.00	–	781200.00
(ख)	कबीर अंत्येष्टि	153000.00	–	–
(ग)	विधान मंडल (हाई मास्क)	823554.00	823557.00	–

घ)	विधान मंडल (जलापूर्ति)	–	–	–
(ड.)	पार्षद	–	–	–
(च)	जनगणना	–	16950.00	–
(छ)	निर्वाचन	–	–	–
(ज)	SJSRY	–	–	–
(झ)	वेतन (नं०प्रबंधक)	–	140000.00	140000.00
(ञ)	तेरहवीं वित्त	–	–	902516.00
(iii)	ब्याज	93805.00	46414.00	234314.00
(iv)	कुल प्राप्ति	3289664.00	1057841.00	2083402.00
3	कुल योग	9522504.14	6967697.14	7556032.14
4	व्ययः–			
(i)	स्थापना	67708.00	182279.00	164978.00
(ii)	BRGF	1550000.00	540597.00	–
(iii)	तेंरहवीं वित्त	–	–	–
(iv)	पार्षद भत्ता	42000.00	–	–
(v)	कबीर अंत्येष्टि	66000.00	–	–
(vi)	जनगणना	17415.00	986.00	–
(vii)	निर्वाचन	–	2769.00	–
(viii)	SJSRY	51796.00	–	–
(ix)	विधान मंडल (हाई मास्क)	800000.00	768436.00	–
(x)	विधान मंडल (जलापूर्ति)	700000.00	–	–
(xi)	वैट/रॉयल्टी	317729.00	–	140893.00
(xii)	अन्य	–	–	–
(xiii)	कुल व्यय	3612648.00	1495067.00	305871.00
5	अंतशेष	5909856.14	5472630.14	7250161.14

(62)

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(क) रोकड़ बही एवं बैंक खाता का शेष में अंतरः–

नगर पंचायत के लेखाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि 31/03/2012 तक जिन बैंक खाता का संधारण किया गया था, उन बैंक खातों के शेष का विवरण निम्न प्रकार थाः–

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता सं०	शेष राशि	अद्यतन स्थिति
1	पंजाब नेशनल बैंक मढौरा	41	2312.55	31/03/07
2	,,	43	6712.00	,,
3	भारतीय स्टेट बैंक	11467643698	358184.81	30/05/2011
4	,,	01190009331	1987767.78	31/03/2012
5	ईलाहाबाद बैंक	2092930608	6283533.00	,,
		योग रू०:–	**88,38,510.14**	
		रोकड़ बही के अनुसार –	**7250161.14**	
		31.03.2012 का शेष अंतर –	**1388349.00**	

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(I) 31.03.2012 तक सभी खाते को अद्यतन कराकर अंतर राशि का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(II) पंजाब नेशनल बैंक के खाते 31.03.2007 तक अद्यतन था। वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि में उक्त खाते से किसी भी प्रकार का संधारण नहीं किया गया था। अतः इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

(ख) रोकड़बही में वर्षो से राशि अव्यवहृत पड़ा रहना

रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया कि 01/04/2009 को कई राशि जिसका विवरण निम्न प्रकार है जो अबतक अव्यवहृत पड़ा हुआ था, साथ ही उक्त राशि किस मद का था, इसका वर्णन भी नहीं पाया गया।

क्रमांक	राशि
1	63830.00
2	6993.00
3	9982.00
4	896295.00
5	95698.00
6	89945.00
कुल योग–	**1162743.00**

उपरोक्त राशि किस मद में शेष पड़ा था एवं इतने समय से क्यों अव्यवहृत था, यह स्पष्ट नहीं किया गया। प्रत्युत्तर में बताया गया कि बैंक पासबुक अद्यतन करवाकर अगले लेखापरीक्षा में अवगत कराया जायेगा। अतः वस्तुस्थिति से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

7. बजटः—

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार कर सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित करा कर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा एवं सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात 31मार्च तक नगर पंचायत को वापस करेगी। प्रत्युत्तर में बताया गया कि "कर्मी के अभाव के कारण उक्त वित्तीय वर्षों में बजट नहीं बनाया गया था"।

अतः सुझाव दिया जाता है कि कर्मचारियों के नियुक्ति हेतु सरकार से पत्राचार किया जाये तथा बजट को विहित प्रावधानों के अनुसार तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

8. वार्षिक लेखाः—

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 88 से 89 में नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के चार माह के अन्दर आय–व्यय का वार्षिक लेखा व तुलन पत्र तैयार करना था।

लेकिन नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। प्रत्युत्तर में बताया गया कि "भविष्य में वार्षिक लेखा तैयार किया जायेगा"। अतः वार्षिक लेखा तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

9. सरकारी अनुदानः—

नगर पंचायत मढौरा, सारण द्वारा सरकारी अनुदान पंजी का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया था एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 की अवधि में प्राप्त राशि का प्राप्ति एवं व्यय आदि की प्रविष्टि नहीं की गई थी, जिसके चलते पूर्व का वास्तविक अवशेष व्यय एवं 31.03.12 का अवशेष ज्ञात नहीं किया जा सका। रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक कुल ₹57,80,027/– की अनुदान राशि की प्राप्ति हुई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट–III पर हैं।

प्रत्युत्तर में बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जायेगा। अतः प्राप्त अनुदान की राशि की प्रविष्टि अनुदान पंजी के निर्धारित प्रपत्र में की जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

10. निधि का अवरोधन– ₹70.31 लाखः—

नगर पंचायत द्वारा संधारित आवंटन पंजी जो वर्ष 2008–09 तक संधारित थी के अनुसार कुल 70,31,411.00 विभिन्न मदों में वर्षो से अवरोधन कर रखा हुआ था, तथा अंकेक्षण अवधि तक व्यय नहीं किया गया था, अवशेष पड़ी राशि का योजना वार विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	योजना का नाम	30.03.2012 का अवशेष
1	बारहवॉ वित्त आयोग	2150662.00
2	पथों का जिर्णोद्वार	581336.00

3	नाली निर्माण	213963.00
4	BRGF	4085450.00
	योग–	**7031411.00**

राशि को व्यय करने के संबंध में प्रत्युत्तर दिया गया कि दिशानिर्देश के अनुरूप राशि का व्यय किया जायेगा।

अतः उपरोक्त योजनाओं की अवरोधित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जाये अथवा जिन्हें योजनाओं पर व्यय किया जाना संभव न हो उन्हें अनुदान संस्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाये।

11. मकान कर का अधिरोपण नहीं:–

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 में नगर पंचायत द्वारा मकान कर का अधिरोपन करने का प्रावधान है, परन्तु नगर पंचायत के लेखाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत मढौरा द्वारा अब तक मकान कर अधिरोपित नहीं किया गया था।

अतः अबतक मकान कर का अधिरोपन नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाना था जो नहीं किया गया। अगले अंकेक्षण में कारण स्पष्ट किया जाय एवं यह भी स्पष्ट किया जाय कि अधिरोपन हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है।

12. संचार (मोबाइल) टावरों का अपंजीकृत रहना:–

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाइल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित नियमावली 2012 दिनांक 08/10/2012 में अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत द्वारा पंजीकरण शुल्क 30000/– प्रति टावर एवं रू० 8000/– नवीकरण शुल्क प्रति वर्ष प्रति टावर निर्धारित की गयी है।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर वर्णित पंजी करण शुल्क जमा करना होगा एवं नवीकरण शुल्क टावर स्थापित होने के समय से पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त करों से संबंधित पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के मद में किसी भी प्रकार का वसूली नहीं किया गया था। प्रत्युत्तर में बताया गया कि "सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है, दिशानिर्देश के तहत निबंधनशुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसुली हेतु आवश्यक कार्यवाई किया जायेगा"।

अतः नियमानुसार समुचित कार्रवाई किया जाये तथा कृत कार्रवाई से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

13. स्वयं के श्रोत से प्राप्त राशि का विविध रसीद अप्रस्तुतः–

वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 में नगर पंचायत के स्वयं के श्रोत में परिमाण विपत्र की विक्री, आवासीय प्रमाण पत्र की फार्म की विक्री एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का फार्म का विक्री आदि से विविध मद में राशि की प्राप्ति हुई थी, परंतु किस रसीद से राशि की वसुली कियागया था अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया था, इससे प्रतीत होता है कि रसीद निर्गत किये बिना ही राशि की प्राप्ति किया गया था, जिससे वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः वास्तविक स्थिति से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय एवं प्रकरण की विभागीय स्तर पर जॉच की जाये।

14. हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ ₹16.47 लाखः–

उप विकास आयुक्त छपरा (सारण) के पत्रांक 712 दिनांक 28/08/2008 जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मढौरा को प्रेषित था जिसमें माननीय विधायक श्री लाल बाबू राय के अनुशंसा पर मढौरा क्षेत्र में तीन स्थानों पर हाई मास्ट लाईट लगाने हेतु नजरी नक्शा एवं ख्याति प्राप्त संस्थानों से अल्पकालीन निविदा का आमंत्रण कर नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात राशि का आवंटन भेजने का प्रस्ताव किया गया था। नगर पंचायत द्वारा दिनांक 04/09/2009 को निविदा का प्रकाशन किया गया एवं दिनांक 07/09/2009 को निविदा आमंत्रित की गई थी। तीन फर्मों के द्वारा निविदा में भाग लिया गया, जिसमें कुमार एण्ड कुमार का दर रू० 549037.00 न्यूनतम रहने के कारण स्वीकृत किया गया। योजना का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

यो० सं०– 02/09–10 (MCA)		
योजना का नाम –		मढौरा में तीन स्थानों पर हाई मास्ट लाईट का निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि –		1647111/– (549037 X 3)
संवेदक –		कुमार एण्ड कुमार कंपनी, पटना।
कार्यादेश निर्गत –		06/02/2010
कार्य पूर्ण की अवधि		2 माह 05/04/2010
कार्य पूर्ण की वास्तविक तिथि –		09/02/2011
विलम्ब दिनों की सं०		लगभग 300 दिन
योजना में व्यय का विवरण –		
चेक सं०	**तिथि**	**राशि**
997322	23/02/2010	600000/–

997326	15/03/2010	200000/–
997330	21/02/2011	768436/–
वैट की राशि –		51931/–
आयकर की राशि –		26744/–
	कुल –	**1647111/–**

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(1) <u>आयकर की कम कटौती</u>–

आयकर अधिनियम की धारा 194C के अनुसार संवेदक के विपत्र से 2% आय कर की कटौती की जानी थी। इस प्रकार इस योजना में 32942/– की कटौती किया जाना था परन्तु मात्र 26744 रू. की कटौती की गई थी। इस प्रकार 6198/– (32942 – 26744) की कटौती कम की गई थी। प्रत्युत्तर दिया गया कि कम कटौती की गई राशि की वसुली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अतः 6198/– रूपया जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।

(2) <u>संवेदक से कार्य अनियमितः</u>–

बिहार सरकार के निर्देशानुसार हाई मास्ट लाईट आदि का अधिष्ठापन में बेल्ट्रॉन/ब्रेडा संस्थान के द्वारा एवं उसके द्वारा प्राधिकृत फर्म से ही कार्य कराना था। संचिका में यह वर्णित नहीं था कि क्या कुमार एण्ड कुमार, पटना बेल्ट्रॉन या ब्रेडा द्वारा प्राधिकृत था, यदि नहीं तो बेल्ट्रॉन एवं ब्रेडा से सम्पर्क क्यों नहीं किया गया, इसके प्रत्युत्तर में बताया गया कि सरकारी दिशानिर्देश नगर पंचायत में अनुपलब्ध रहने के कारण प्राधिकृत फर्म से संपर्क नहीं किया गया था। जवाब संतोषप्रद नहीं था। अतः वस्तु स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय। तबतक योजना में व्यय संपूर्ण राशि 16,47,111/– आपत्ति के अतर्गत रखी जाती है।

(3) <u>विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं</u>:–

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार इकरारनामा के प्रपत्र के क्लाउज–2 में यदि संवेदक द्वारा कार्य में विलम्ब किया जाता है तो प्रतिदिन ½% और अधिकतम 10% की कटौती प्राक्कलन की राशि से किया जाना था। जबकि इस योजना में संवेदक द्वारा लगभग 300 दिन का विलम्ब किया गया था। (समर्पित विपत्र के अनुसार)। इस पर कुल प्राक्कलित राशि का 10% यानि 164711/– रूपये की कटौती की जानी थी जो नहीं किया गया। अतः नहीं कटौती की गई राशि 164711/– की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

15. जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ:– ₹10.11 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 856 दिनांक 21.02.2008 के द्वारा नगर पंचायत मढौरा (सारण) को कुल रू० 1016320.00 का आवंटन प्राप्त हुआ था, उक्त आवंटन के तहत नगर पंचायत में कुल 29 चापाकल का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

यो० सं०– 01/2009–10 (MCA)			
योजना का नाम –		नगर पंचायत क्षेत्र में इन्डिया मार्क–3 चापाकल का अधिष्ठापन कार्य।	
संवेदक का नाम –		श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	
प्राक्कलित राशि –		1015663/–	
कार्यादेश निर्गत की तिथि–		03/10/2009	
कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि		02/12/2009	
कार्य पूर्ण की वास्तविक तिथि –		15/01/2010	
संचिका के अनुसार कार्य की मापी –		1010848/–	
योजना में व्यय :–			
चेक सं०	**तिथि**	**राशि**	**अभ्युक्ति**
313055	06/10/2009	200000/–	
313087	19/01/2010	500000/–	
870865	05/09/2012	308020/–	
वैट की राशि –		982/–	
रॉयल्टी की राशि –		1846/–	
	कुल –	**1010848/–**	

अंकेक्षण टिप्पणी:–

(1) एकल निविदा की स्वीकृति अनियमित:–

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस कार्य हेतु चार संवेदक ने परिमाण विपत्र क्रय किया था, परन्तु निविदा की तिथि को मात्र एक ही संवेदक ने भाग लिया, जिसे 01 प्रतिशत अधिक दर पर निविदा की स्वीकृति किया गया था।

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार एकल निविदा की स्वीकृति देना आवश्यक हो तो जिस कार्यालय विभाग के द्वारा निविदा का आमंत्रण किया गया है उससे एक स्तर के ऊपर के प्राधिकारी द्वारा निविदा की स्वीकृति दी जा सकती है। अतः नगर पंचायत स्तर से एकल निविदा की स्वीकृति दिया जाना

156

अनियमित था। प्रत्युत्तर दिया गया कि सशक्त स्थयी समिति एवं बोर्ड के निर्णय के उपरान्त ही कार्य कराया गया था। प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं था। अतः योजना में व्यय संपूर्ण राशि 1010848/– अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

(2) अधूरा प्रमाण पत्र समर्पित करने वाले संवेदक का निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमितः–

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिन संवेदकों का निविदा स्वीकृत किया गया था उनके द्वारा समर्पित किया गया प्रमाण पत्र निविदा समर्पित की तिथि से पूर्व ही उसकी मियाद समाप्त हो चुकी थी ऐसी स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर पुनः निविदा किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	प्रमाण पत्र	निर्गत तिथि	समाप्ति तिथि	निविदा की तिथि
1	चरित्र प्रमाण पत्र	15/12/2008	14/06/2009	25/08/2009
2	मजदूर निबंधन	27/03/2008	01/02/2009	25/08/2009

प्रत्युत्तर दिया गया कि प्रशिक्षित कर्मी नहीं रहने के कारण इस प्रकार की त्रुटि हुई है। प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं है। अतः विभागीय स्तर पर समुचित कार्रवाई किया जाये।

(3) वैट की कटौती नहीं किया जाना अनियमितः–

संचिका के अनुसार इस कार्य में चापाकल की सामग्री की खरीद पर संवेदक द्वारा कुल रू० 699988.95 का विपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें कुल 33333/– का वैट की राशि शामिल थी। संचिका में न ही संवेदक के द्वारा एवं न ही जिस फर्म से सामग्री क्रय किया गया था, उस फर्म के द्वारा ही वैंट का भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र (Form-C-III) समर्पित किया गया था, ऐसी स्थिति में योजना में भुगतान के समय श्रोत पर वैट की कटौती कर लेनी चाहिए थी। वैंट जमा कर संबंधित वैट का भुगतान प्रपत्र (Form-C-III) में संवेदक को निर्गत किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया था, कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः नहीं कटौती की गई राशि 33333/– की वसूली एवं सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(4) किये गये कार्य से अधिक भुगतानः–

संचिका में संलग्न मापी पुस्तिका के अनुसार कुल 28 चापाकल का गड़ाई का कार्य किया गया था, जिसपर कुल 976651/– का मापी पुस्तिका में कार्य दिखलाया गया था, (परिशिष्ट IV) जबकि संचिका के अनुसार कुल 29 चापाकल का निर्माण पर 1010848/– का भुगतान किया गया। इस प्रकार

34197/– (1010848 – 976651) का भुगतान अधिक व अनियमित था, इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अधिक भुगतान की राशि 34197/– की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

(5) संवेदक से विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं:–

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार एकरारनामा के क्लाउज–2 में यदि संवेदक द्वारा कार्य समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो प्राक्कलन की राशि से प्रतिदिन ½% एवं अधिकतम 10% की राशि कटौती कर लिया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। संचिका, मापी पुस्तिका के अनुसार इस योजना को कार्य करने हेतु संवेदक को दिनांक 03/10/2009 को निर्गत किया जाना था एवं कार्य की अवधि 2 माह थी यानि दिनांक 02/12/2009 तक कार्य पूरा कर लेना था, परन्तु मापी पुस्तिका के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य दिनांक 15/01/2010 को किया गया था। इस प्रकार कार्य पूर्ण करने में 44 दिन विलम्ब किया गया था जिसपर आधा प्रतिशत प्रति दिन यानि 22 दिन या अधिकतम 10% की कटौती ₹101085(1010848 का 10%)नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया कि एकरारनामा में इस तरह का प्रावधान नहीं होने के कारण विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं की गई थी। जबाव संतोषप्रद नहीं था। अतः नहीं कटौती की गई राशि 101085/– की वसूली किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

(6) विपत्र से आयकर की कटौती नहीं:–

आयकर अधिनियम की धारा 194C में यदि निर्माण कार्य संवेदक द्वारा कराया जाता है तो भुगतान/समायोजन के समय निर्माण लागत का 2% की कटौती कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना था। इस योजना में 20217/– (1010848/– का 2%) की कटौती नहीं किया गया था, जिससे सरकार को 20217/– की हानि हुई। जवाब दिया गया कि संवेदक को आयकर जमा करने हेतु नोटिस दिया जायेगा। अतः कटौती नहीं की गई राशि 20217/– को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

(7) सहायक अभियंता द्वारा किये गये कार्य की मापी/कार्य का जाँच 2½ वर्ष बाद किया जाना।

मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य की मापी कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 15/01/2010 को किया गया था एवं उक्त कार्य की जाँच मापी पुस्तिका में सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 30/07/2012 को यानि 2½ वर्ष बाद किया गया था। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि चापाकल का गड़ाई कार्य कनीय अभियंता द्वारा 2½ साल पूर्व किया गया था तो सहायक अभियंता के द्वारा जाँच किये जाने का औचित्य क्या था? प्रत्युत्तर दिया गया कि सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा। अतः वस्तु स्थिति अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

(8) संपूर्ण कार्य संदेहास्पदः–

योजना की संचिका, मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि मापी पुस्तिका के अनुसार कनीय अभियंता द्वारा कार्य की मापी दिनांक 15/01/2010 को किया गया था जबकि संचिका में संलग्न अभिश्रव के अनुसार संपूर्ण चापाकल गड़ाई का सामग्री का क्रय दिनांक 05/03/2010 से 25/03/2010 के मध्य किया गया था। (परिशिष्ट V) इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि कार्य जनवरी माह में समाप्त हो चुका था तो सामग्री का क्रय दो माह पश्चात मार्च 2010 में क्यों किया गया था? इससे योजना का कार्यान्वयन में अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रत्युत्तर दिया गया कि संबंधित कर्मी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जायेगा एवं उसके उपरान्त आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त योजना का विस्तृत जाँच करवाया जाये एवं फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

16. अनियमित व्ययः–

रोकड़ बही एंव अभिश्रव जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत का ट्रैक्टर हेतु नया बैंट्री एवं डायनेमों का क्रय किया गया था जिसमें मैकेनिक चार्ज सहित कुल 8563/– का व्यय किया गया था जिसका उल्लेख निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	अभिश्रव की राशि	उद्देश्य
1	1680/–	डायनेमों क्रय
2	64801/–	बैट्री क्रय
3	100/–	बैट्री एवं डायनेमों का मैकेनिक चार्ज
4	67/–	डायनेमों के राशि का 4% वैट
कुल–	**8327/–**	
5	236/–	विविध उपकरण
कुल–	8563/–	

चेक सं०	तिथि	राशि
997328	01/04/2010	8563/–

नगर पंचायत के वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के लेखाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि ट्रेक्टर परिचालन, ईंधन एवं परिचालन हेतु ड्राईवर आदि पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त अवधि में ट्रैक्टर का परिचालन नहीं किया गया था। अतः व्यय निरर्थक हुआ, जो वसूलनीय है।

17. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में भुगतान ₹0.52 लाखः–

रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, C.D.S. को कुल 51,796/– का भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	चेक सं०	दिनांक	राशि
1	331591	25/08/09	10,000/–
2	331586	26/08/09	18791/–
3	313051	02/09/09	23005/–
		योग–	**51796/–**

भुगतान की संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया प्रत्युत्तर दिया गया कि संचिका अगले अंकेक्षण में दिखलाया जायेगा। अतः अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक भुगतान की गई राशि 51796/– अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

18. अंकेक्षण का परिणामः–

अंकेक्षण का परिणाम निम्न प्रकार हैः–

(I)	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	शुन्य
(II)	अधिभार प्रक्रिया के तहत वसूली हेतु राशि	शुन्य
(III)	वसूली हेतु सुझायी गई राशि	रू० 308556/–
(IV)	अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत राशि	रू० 2709755/–

(विवरण परिशिष्ट–VI पर संदर्भित है)

152

19. **कार्यपालक से वार्तालापः–**

अंकेक्षण के दौरान उठायी गये अंकेक्षण आपत्तियो पर कार्यपालक पदाधिकारी से समय–समय पर चर्चा की गयी थी।

20. **सामान्य अभ्युक्तिः–**

नगर पंचायत के द्वारा संधारित लेखाओं में काफी सुधार की आवश्यकता थी। नगर पंचायत में कर्मी का अभाव था। करो की वसुली प्रभावित थी। अनुदान पंजी, मकान कर की वसुली हेतु मांग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। विभिन्न मदों की राशि अवशेष पड़ा हुआ था, जिसे सरकारी दिशा–निर्देश के तहत व्यय किये जाने की आवश्यकता थी। नियमित कर्मी का अभाव था। अतः संबंधित विभाग से परामर्श कर उचित कदम उठाया जाय।

(अखिलेश पासवान)

पर्यवेक्षक

(51)

सं०-एल०प०/एस०एस०-1 /श०स्था०नि०/ दिनांकः–

प्रतिलिपि, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मढौरा, जिला सारण (छपरा) को अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निकाय बोर्ड के बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा हेतु रखा जाय एवं कंडिकावार विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पत्र प्राप्ति के तीन माह के अन्दर कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना को भेजी जाय।

—ह०—

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/श०स्था०नि०,
सामाजिक प्रकोष्ठ–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

ज्ञापांकः–एल०प० /एस०एस०-1 /श०स्था०नि०/14382/1405 दिनांकः– 19.11.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार, पटना।
2. जिलाधिकारी, सारण (छपरा)

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/श०स्था०नि०
सामाजिक प्रकोष्ठ–1,
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट - I

नगर पंचायत द्वारा संधारित व अंकेक्षण के प्रस्तुत किये गये पंजी व अभिलेखों की सूची।
(प्रतिवेदन की कंडिका क्र.   से संबंधित)

क्र.	पंजी व अभिलेख का नाम
1.	लेखापाल रोकड़ ~~बही~~ पंजी
2.	बैंक विवरणी / पास बुक
3.	अग्रिम पंजी
4.	योजना पंजी
5.	बैठक बही
6.	योजना की संचिका - अभिलेख
7.	अभिश्रव

हस्ता.
लेखा परीक्षक

परिशिष्ट - II

नगर पंचायत द्वारा संधारित नहीं व अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये पंजी व अभिलेखों का विवरण
(प्रतिवेदन की कंडिका सं.   से संबंधित)

क्रमांक	पंजी व अभिलेख के नाम
1.	रोकड़ पाल की रोकड़ बही / पृथक रोकड़ बही
2.	कोषागार पास-बुक
3.	प्राप्ति व व्यय का वार्षिक लेखा
4.	मासिक तथा त्रैमासिक वार्षिक लेखा (प्राप्ति व व्यय)
5.	सरकारी अनुदान पंजी
6.	ऋण - पंजी
7.	ऋण विनियोजन पंजी
8.	विधि - पंजी
9.	समायोजन - पंजी
10.	भंडार तथा संग्रह पंजी
~~11.~~	~~अनुमान्य क्षमता तथा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को दर्शाने वाली पंजी~~
12.	वेतन ~~लेखा~~ - पंजी
12.	स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की तालिका
13.	बजट
14.	संपत्ति - पंजी
15.	कर निर्धारण - पंजी
16.	जल संबद्धता लेखा
17.	दाखिल खारिज लेखा

रुपेश
लेखा परीक्षक

परिशिष्ट – III

(प्रतिवेदन की कंडिका सं०– 9 से संबंधित)

नगर पंचायत मढ़ौरा में वित्तीय वर्ष 2008-10 से 2011-12 की अवधि में प्राप्त अनुदान की राशि का विवरणी

क्रमांक	पत्र/चेक/ड्राफ्ट संख्या	तिथि	विभाग का नाम	मद	राशि	बैंक का नाम खाता सं.	जमा की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	652957	—	2009-10 उप वि. आयुक्त छपरा	बी.आर.जी.एफ	755200	इलाहाबाद बैंक	16.7.09
02	752954	—	"	"	145000	"	16.7.09
03	268103	—	—	कबीर अंत्येष्टि	105000	"	05.7.09
04	268128	—	—	"	48000	"	06.4.2010
05	—	—	—	विधायक मंडल (हाई मास्ट लाईट)	823554	भा. स्टेट बैंक	28.01.2010
06	129	23.01.10	उप. वि. आयुक्त छपरा	मु. मं. अ. अधिनियम	1099050	इलाहाबाद बैंक	17.2.10.

योग 29,75,804

36(47)

129

2	3	4	5	6	7	8
		2010-11		BF 29,75,804=00		
07 6243	3.11.10	म.वि.एवं आ.वि.	नगर पंचायत आवेदन	140000=00	इलाहाबाद बैंक	28.12.10
08 663325	—	—	विद्युत प्रकाश हेतु मास्ट लाईट	823557=00	आ. स्टेट बैंक	01.02.11
			जनता [illegible]	16950=00	इलाहाबाद बैंक	21.2-11
09 —	—	जिलाधिकारी कार्या				
		2011-12				
10 182523	—	उप जि.आयुक्त	बी.आर.जी.एफ	483910=00	"	07/4/11
			"	297270=00	"	07/04/11
11 182525	—	"	नेहरू [illegible]	2516=00	"	6.7.11
12 737720	—	म.वि. एवं आ.वि.	[illegible] F.C	900000=00	"	"
13 727504	—	"	वेतन [illegible]	100000=00	"	"
14 021558	—	"	"	40000=00		"
15 24443	—	"				
				5780027=00		

[illegible]
प्रधानाध्यक्ष

15 (56) 57

परिशिष्ट - IV

संचिका में संलग्न मापी पुस्तिका के अनुसार किये गये कार्य का मूल्य (प्रतिवेदन की कंडिका सं०-15 से संबंधित)

मापी पुस्तिका कुल सं० Vol.	पृष्ठ सं०	कार्य का मूल्य	कनीय अभियंता का [illegible] का तिथि	सुपर जाँच की तिथि	सहायक अभियंता द्वारा जाँच का तिथि
1	2	3	4	5	6
Vol-1	4	35023=00	15.1.10	27.7.12	30.7.12
"	7	34798=00	"	"	"
"	10	35023=00	"	"	"
"	14	34798=00	"	"	"
"	18	34798=00	"	"	"
"	21	35023=00	"	"	"
"	25	34367=00	"	"	"
Vol-2	4	34798=00	"	"	"
"	8	35023=00	"	"	"
"	12	34367=00	"	"	"
Vol-3	3	34798=00	"	"	"
"	7	35023=00	"	"	"
"	11	34367=00	"	"	"
"	15	34798=00	"	"	"
"	18	35023=00	"	"	"
"	22	34798=00	"	"	"
"	25	35023=00	"	"	"
Vol-4	4	35023=00	"	"	"
"	8	35023=00	— NR	N.R	30.7.12
"	12	34798=00	"	"	"
"	16	35023=00	"	"	"
"	19	35023=00	"	"	"
"	23	34798=00	"	"	"
Vol-5	4	35023=00	"	"	"
"	7	35023=00	—	"	"
"	11	35023=00	"	"	"
"	15	35023=00	"	"	"
"	23	35023=00	"	"	"
योग		97[illegible]651			